मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः16.06.2026

थाना विंध्याचल पुलिस द्वारा मुठभेड़ में 01 शातिर गो-तस्कर घायल सहित 03 गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमंचा मय कारतूस, 05 राशि गो-वंश व एक अदद पिकअप वाहन बरामद —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा पुरस्कार घोषित/इनामियाँ/गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिए गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना विंध्याचल पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः16.06.2026 को थाना विंध्याचल पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि पिकअप वाहन से गो-वंश ले जाया जा रहा है। थाना विंध्याचल पुलिस टीम द्वारा गैपुरा से पिकअप वाहन का पीछा किया गया तो अभियुक्तगण लालगंज की तरफ भागे। उक्त वाहन को प्रभारी निरीक्षक थाना विन्ध्याचल, चौकी प्रभारी गैपुरा व अष्टभुजा मय पुलिस टीम के साथ लालगंज रोड पर दादर पहाड़ी के पास घेराबन्दी की गयी तो अभियुक्तों द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस टीम पर जान मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किये परन्तु थाना विंध्याचल पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी सीमित कार्यवाही की गयी, जिसमें एक गो-तस्कर को गोली लगी जो गिर कर कराहने लगा एकाएक धावा बोलकर घायल सहित दो अन्य गो-तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका नाम पता पूछा गया तो घायल अभियुक्त ने अपना नाम रोहित यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी बलौनी खुर्द पोस्ट बसिला थाना चन्दौली जनपद चन्दौली बताया जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है तथा अन्य अभियुक्तों द्वारा अपना नाम पता क्रमशः 2.अशोक यादव पुत्र रामाश्रय यादव निवासी ग्राम डोहिल थाना चंदौली जनपद चंदौली 3.राजीव तिवारी पुत्र आसाराम तिवारी निवासी नौगांव देवीपुर पोस्ट नदिनी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर बताया गया, जिनकी तलाशी ली गयी तो घायल अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, तथा अन्य के कब्जे से पिकअप वाहन तथा वध हेतु ले जाए जा रहे कुल-05 राशि गो-वंश बरामद किया गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त रोहित उपरोक्त को पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। उक्त के सम्बन्ध में थाना विंध्याचल पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग गो-तस्करी करते है तथा बिहार में ले जाकर बेचते है।

पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.रोहित यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी बलौनी खुर्द पोस्ट बसिला थाना चन्दौली जनपद चन्दौली (पुलिस मुठभेड़ में घायल)।

2.अशोक यादव पुत्र रामाश्रय यादव निवासी ग्राम डोहिल थाना चंदौली जनपद चंदौली।

3.राजीव तिवारी पुत्र आसाराम तिवारी निवासी नौगांव देवीपुर पोस्ट नदिनी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी —

01 अदद देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर।

05 राशि गोवंश बरामद।

पिकअप वाहन संख्या- UP64 CT 6282।

आपराधिक इतिहास-

(अभियुक्त रोहित यादव उपरोक्त)

1.मु0अ0सं0-564/2019, धारा-427,504,506 भादवि थाना-मुगलसराय जनपद चंदौली।

2.मु0अ0सं0-19/2022, धारा-25/3 आयुध अधिनियम थाना-मुगलसराय जनपद चंदौली।

3.मु0अ0सं0-240/2024, धारा-3/5A/8,5 गौ-हत्या अधिनियम, 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 325 भादवि थाना-सैयदराजा जनपद गाजीपुर।

4.मु0अ0सं0-252/2025, धारा-3/5A/8,5 गौ-हत्या अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना-चंदौली जनपद चंदौली।

5.मु0अ0सं0-263/2025, धारा-316(2),351(2)352 बीएनएस थाना-जिगना जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक थाना विंध्याचल अजीत कुमार सिंह मय पुलिस टीम।

चौकी प्रभारी गैपुरा- सुरेश चन्द्र द्विवेदी मय पुलिस टीम।

चौकी प्रभारी अष्टभुजा- चन्द्रभान सिंह मय पुलिस टीम।

****